Government will finalise its views after the conclusions of consultations with political parties. Discussion has already taken place in Lok Sabha on 23.12.92 and the matter is yet to be discussed in Rajya Sabha.

कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में व्यापार मेला परिसर स्थापित किया जाना

720. **श्री अजीत जोगी:**
चौधरी हरि सिंह

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में व्यापार मेला परिसर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त भार (श्री कपालुहीन अहमद): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित अनेक राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के साथ अपनी-अपनी राजधानियों में व्यापार मेले परिसरों की स्थापना करने के संबंध में परस्पर बातचीत कर रही हैं।

भारतीय कृषि क्षेत्र पर डुंकेल प्रस्तावों का प्रभाव

721. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डुंकेल प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद इसका भारतीय कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या यह भी सच है कि डुंकेल प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 1986 को आधार वर्ष माना जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1986 के कृषि उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1986 में देश में व्याप्त भारी अभाव की स्थिति के कारण भारत ने रिकार्ड मात्रा में कृषि उत्पादों का आयात किया था?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (च) सरकार द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत को अल्पावधि और मध्यम अवधि में अपनी घरेलू कृषि नीतियों में किसी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्यात प्रतियोगिता के क्षेत्र में डंकल पाठ में इस समय प्रवृत्त निर्यात प्रोत्साहनों को रोकने का प्रावधान नहीं है। जहां तक बाजार प्रवेश का संबंध है, जब तक भारत में भुगतान-संतुलन की समस्या है, तब तक आयात के लिए मौजूदा और न्यूनतम स्तर पर प्रवेश की अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं है।

प्रमुख कृषि उत्पादकों द्वारा प्रतियोगी आर्थिक सहायता में कटौती के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी जिससे कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए अवसर बढ़ेंगे। भुगतान संतुलन की समस्या के बने रहने तक आयात के मामले में आयात की मात्रा पर अंकुश लगाना संभव रहेगा।

डुंकेल पाठ में गणना के लिए आधार अवधि वर्ष 1986 से 1988 का औसत है।

1986 के वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि वस्तुओं के आयात की सारणी विवरण-1 पर प्रस्तुत है। (नीचे देखिए) इस अवधि के दौरान वर्ष 1988-89 में सर्वाधिक आयात रहा।

वर्ष 1986 के दौरान चुनिन्दा प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन-आंकड़े संलग्न विवरण-2 में दिए गए है।

विवरण-1

भारत द्वारा प्रमुख कृषि वस्तुओं का आयात

(करोड़ रुपए में)

वस्तु	1986-87	1987-88	1988-89
गेहूं	37.27	8.99	433.08
चावल	0.99	2.15	230.64
चीनी	205.24	193.07	0.13

(करोड़ रुपए में)

वस्तु	1986-87	1987-88	1988-89
खाद्य तेल	611.96	968.77	729.70
दालें	—	250.99	384.91
अपरिष्कृत ऊन	55.87	131.87	157.48

स्रोत: 1. कृषि आंकड़े—एक नजर में, कृषि मंत्रालय, 1990-91
2. वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

विवरण-2

वर्ष 1986-87 के दौरान चुनिन्दा प्रमुख कृषि वस्तुओं का उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	उत्पादन
चावल	60.6
गेहूं	44.3
दालें	11.7
मोटे अनाज	26.8
मूंगफली	5.9
रेपसीड और सरसों	2.6
गन्ना	186.1
कपास	6.9*
जूट तथा मेस्टा	8.7*

*मिलियन गांठे
स्रोत—इकनामिक सर्वेक्षण, 1991-92

Non Fulfilling Export Obligations under the Advance Licensing Scheme

722. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether a large number of exporters have not fulfilled export obligation under the advance licensing scheme which provides for duty free imports of raw materials;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have contemplated any action against the involved exporters; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) A preliminary analysis of performance of fulfillment of export obligations imposed under advance licence cases does not indicate that there have been large scale defaults.

(c) and (d) Issue of Advance Licences, monitoring of export obligations imposed thereunder is a continuous process. Wherever in exporter defaults in fulfilling export obligations, unless such defaults are regularised as per established procedure, action is initiated under the Foreign Trade (Develoment & Regulation) Act., 1992 for declaring him a defaulter. Once so declared, the exporter is dabarred from obtaining further advance licence from the Department; In addition, the exporter is also liable to pay penalty which may extend to 5 times of the value of the licence.